हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

सोमवार, 31अगस्त, 2015/9 भाद्रपद,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 31 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, जिला न्यायवादी , वर्ग- I (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: गृह(जी)ए(3)-2/2014 दिनांक 13.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, संयुक्त निदेशक (अभियोजन) वर्ग- I (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: गृह(जी)ए(3)-1/2014 दिनांक 21.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.05.2015 को प्रकाशित ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय का वार्षिक प्रशासनिक विवरण, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय का वार्षिक प्रशासनिक विवरण, वर्ष 2014-15 ।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के सूचना का अधिकार एवं वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 65(I) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14; और

(ii) नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अन्तर्गत हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(5) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **74वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 98वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **75वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 99वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **47वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के पंचम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष एवं सभापति, विशेषाधिकार समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के **प्रथम प्रतिवेदन** की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

डॉ0 राजीव बिन्दल, दिनांक 28 अगस्त, 2015 को विभिन्न समाचार-पत्रों में छपी खबर **"नाहन में नाबालिग से गैंगरेप "** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

6. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश में फल पौधशालाओं (साँकुर शाखा बैंक और ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला सहित) का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करने के लिए विधि समेकित करने और पुन: अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्यांक 19)

विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii)**श्री कौल सिंह,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि **हिमाचल प्रदेश प्राइवेट** चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 16) का संशोधन करने के लिए

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्यांक 21)

विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015

(2015 का विधेयक संख्यांक 17)

विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iv) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 18)

विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(v) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 20)

विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

7. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर (31-जोगिन्द्रनगर),** जोगिन्द्रनगर पुलिस थाना व इसके अधीन घट्टा व लड़भडोल, पुलिस चौकियों में चोरी व लूटपाट की घटनाओं की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र रोकथाम करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **डॉ0 राजीव बिन्दल (56-नाहन),** राजकीय महाविद्यालय, नाहन के भवन के कार्य को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सोलन-मीनस सड़क की मैटलिंग/टारिंग जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** जिला कुल्लू के लोक निर्माण मण्डल-II के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क लोरन से खलाड़ा, सरली के रूके पड़े कार्य को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भू-संरक्षण विभाग के टयूबवैल को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरित करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री गोविन्द राम शर्मा (50-अर्की),** अर्की, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चरमराई पेयजल योजनाओं की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **डॉ0 राजीव बिन्दल (56-नाहन),** नाहन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अधिसूचित ई0एस0आई0, भारापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जनहित में पुन: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिसूचित करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री गोविन्द राम शर्मा (50-अर्की),** अर्की, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र बहाल करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(9) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** मण्डी व धर्मशाला की तर्ज़ पर शिमला मण्डल में तदर्थ आधार पर नियुक्त नायब-तहसीलदारों को नियमित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(10) **श्री अनिरूद्ध सिंह (62-कसुम्पटी),** शिमला शहर के बी0सी0एस0 फेज़-III, सैक्टर-V से पुराने बस अड्डे तक जनहित में बस सेवा शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(11) **श्री इन्द्र सिंह (35-सरकाघाट),** एच0पी0एस0ई0बी0एल0 में मुख्य अभियन्ताओं (सिविल) को सेवानिवृत्ति उपरान्त सेवा विस्तार न दिए जाने बारे जनहित में विशेष उल्लेख करेंगे ।

(12) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** बी0बी0एन0डी0ए0 से नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु जनहित में अधिक धनराशि का प्रावधान करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(13) **श्री विजय अग्निहोत्री (40-नदौन)** नदौन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत नदौन की नामत: कुछेक पंचायतों को जनहित में नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल न किए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

8. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

डॉ0 राजीव सैज़ल, " जिला सोलन व सिरमौर के किसानों की आर्थिकी का आधार टमाटर की फ़सल को सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिए जाने बारे चर्चा उठायेंगे ।"

9. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री रिखी राम कौंडल, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में वर्तमान में पेयजल योजनाओं की पुरानी पाईपों को न बदलने से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171 004
दिनांक: 29 अगस्त, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)